

मास्टर परिपत्र
कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार परिचालन
विषय-सूची

1. परिचय
2. प्रतिभागी
3. विवेकपूर्ण सीमाएँ
4. ब्याज दर
5. डीलिंग सत्र
6. प्रलेखन
7. रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ
8. अनुबंध

I. कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में अनुमत संस्थानों की सूची।

II. रिपोर्टिंग प्रारूप

III. परिभाषाएँ

9. परिशिष्ट : परिपत्रों की सूची

कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार परिचालनों पर मास्टर परिपत्र

1. परिचय

- 1.1 मुद्रा बाजार अल्पकालिक वित्तीय आस्तियों के लिए एक बाजार है जो पैसे के नजदीकी विकल्प हैं। मुद्रा बाजार लिखत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह तरल है और इसे कम लागत पर जल्दी से परिवर्तित किया जा सकता है और उधारदाताओं के अल्पकालिक अधिशेष धन और उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण खंड है। कॉल मुद्रा बाजार के तहत, धन एकदिवसीय आधार पर लेनदेन किया जाता है और नोटिस मुद्रा बाजार के तहत, 2 दिनों और 14 दिनों के बीच की अवधि के लिए धन का लेनदेन किया जाता है।

2. प्रतिभागी

- 2.1 कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में प्रतिभागियों में वर्तमान में उधारकर्ता और उधार दाता दोनों के रूप में बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और प्राथमिक डीलर (पीडी) शामिल हैं (अनुबंध I)।

3. विवेकपूर्ण सीमाएँ (प्रूडेंशियल लिमिट्स)

- 3.1 बैंकों और सार्वजनिक वितरण प्रणालियों के लिए कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में बकाया उधार और उधार लेनदेन, दोनों के संबंध में विवेकपूर्ण सीमाएं निम्नानुसार हैं:

तालिका 1: कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में लेनदेनों के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं

क्रमांक	प्रतिभागी	उधार लेना	उधार देना
1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	पाक्षिक औसत आधार पर, बकाया उधार नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की पूंजीगत निधियों (अर्थात् टियर I और टियर II पूंजी का योग) के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, बैंकों को एक पखवाड़े के दौरान किसी भी दिन अपनी पूंजीगत निधि का अधिकतम 125 प्रतिशत उधार लेने की अनुमति है।	पाक्षिक औसत आधार पर, बकाया उधार उनकी पूंजी निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए; हालांकि, बैंकों को एक पखवाड़े के दौरान किसी भी दिन अपनी पूंजीगत निधि का अधिकतम 50 प्रतिशत उधार देने की अनुमति है।
2	सहकारी बैंक	राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/शहरी सहकारी बैंकों द्वारा बकाया उधार दैनिक आधार पर बैंकों को पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च अंत की स्थिति के अनुसार अपनी कुल जमाराशियों के 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।	कोई सीमा नहीं।

3	प्राथमिक डीलर (पीडी)	पीडी को पिछले वित्त वर्ष के मार्च के अंत में अपने निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) के 200 प्रतिशत तक औसतन एक रिपोर्टिंग पखवाड़े में उधार लेने की अनुमति है।	पीडी को एक रिपोर्टिंग पखवाड़े में औसतन अपने एनओएफ के 25 प्रतिशत तक कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में उधार देने की अनुमति है।
---	----------------------	---	---

3.2 6 अगस्त, 2005 से कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में गैर-बैंक संस्थाओं को अनुमति नहीं दी गई है।

4. ब्याज दर

- 4.1 पात्र प्रतिभागी कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में ब्याज दरों के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
- 4.2 देय ब्याज की गणना एफआईएमएमडीए (फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) हैंडबुक ऑफ मार्केट प्रैक्टिसेज पर आधारित होगी।

5. डीलिंग सत्र

- 5.1 कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में सौदे सप्ताह के दिनों में शाम 5.00 बजे तक और शनिवार को दोपहर 2.30 बजे तक या आरबीआई द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट समय में किए जा सकते हैं।

6. प्रलेखन

- 6.1 पात्र प्रतिभागी समय-समय पर एफआईएमएमडीए द्वारा सुझाए गए प्रलेखन को अपना सकते हैं।

7. रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

- 7.1 सभी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम (एनडीएस) सदस्यों के लिए एनडीएस पर अपने सभी कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार सौदों की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। एनडीएस पर सौदों की सूचना 15 मिनट के भीतर दी जानी चाहिए, चाहे सौदे का आकार कुछ भी हो या प्रतिपक्ष एनडीएस का सदस्य हो या नहीं। यदि एनडीएस सदस्य द्वारा सौदों की बार-बार नॉन-रिपोर्टिंग होती है, तो यह विचार किया जाएगा कि क्या उस सदस्य द्वारा नॉन-रिपोर्ट किए गए सौदों को अमान्य माना जाना चाहिए।
- 7.2 एनडीएस पर रिपोर्टिंग समय सप्ताह के दिनों में शाम 5.00 बजे तक और शनिवार को दोपहर 2.30 बजे तक या आरबीआई द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार है।
- 7.3 एनडीएस पर कॉल/नोटिस मनी लेनदेनों की रिपोर्टिंग के स्थिरीकरण के साथ-साथ रिपोर्टिंग भार को कम करने के लिए, एमपीडी (अब एफएमडी) को फैक्स द्वारा कॉल/नोटिस/मीयादी मनी लेन-देनों की रिपोर्टिंग करने की प्रथा 11 दिसम्बर, 2004 से बंद कर दी गई है। तथापि, गैर-एनडीएस सदस्यों के बीच सौदों की सूचना एफएमडी (पूर्व में एमपीडी) को अब भी के रूप में दी जाती रहेगी (अनुबंध-II)।
- 7.4 यदि स्थिति ऐसी हो तो रिज़र्व बैंक पात्र प्रतिभागियों के मुद्रा बाजार लेनदेनों के संबंध में फैक्स द्वारा सूचना मांग सकता है।

अनुबंध - I

- I. 1 जुलाई 2005 की स्थिति के अनुसार उधारदाता और उधारकर्ता दोनों के रूप में कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति प्राप्त संस्थानों की सूची

ए) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर)।
बी) भूमि विकास बैंकों को छोड़कर सभी सहकारी बैंक।
सी) सभी प्राथमिक डीलर (पीडी)

अनुबंध - II

कॉल/नोटिस/मीयादी मुद्रा बाजार लेनदेन पर दैनिक रिटर्न

बैंक/संस्थान का नाम: _____

कोड नं. (आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट): _____

दिनांक: _____

		उधार लिया			उधार दिया		
		कुल धनराशि (करोड़ रु.)	ब्याज दरों की सीमा (% प्रति वर्ष)	भारित औसत ब्याज दरें (% प्रति वर्ष)	कुल धनराशि (करोड़ रु.)	ब्याज दरों की सीमा (% प्रति वर्ष)	भारित औसत ब्याज दरें (% प्रति वर्ष)
1.	कॉल मनी (एकदिवसीय)						
2.	नोटिस मनी (2-14 दिन)						
(ए)	उस दिन लेन-देन किया						
(बी)	बकाया* (सहित दिन लेनदेन)						
3.	टर्म मनी @						
(ए)	उस दिन लेन-देन किया						
	(15 दिन -1 महीना)						
	(1 महीना -3 महीने)						
	(3 महीने -6 महीने)						
	(6 महीने -1 वर्ष)						
(बी)	बकाया* (दिन के लेन-देन सहित)						
	उधार ली गई राशि				उधार दी गई राशि		

(15 दिन -1 महीना)						
(1 महीना -3 महीने)						
(3 महीने -6 महीने)						
(6 महीने -1 वर्ष)						

* बकाया के मामले में, दरों को देने की आवश्यकता नहीं है। @ जहां लागू हो।

अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता
 फोन नं. -----

अनुबंध - III

परिभाषाएँ

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

1. "कॉल मनी" का अर्थ है ओवरनाइट फंड में सौदे।
2. "नोटिस मनी" का अर्थ है 2 - 14 दिनों के लिए फंड में सौदे।
3. "पखवाड़े" का अर्थ होगा शनिवार से दूसरे शुक्रवार तक की अवधि, दोनों सहित।
4. "बैंक" या "बैंकिंग कंपनी" का अर्थ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित बैंकिंग कंपनी या "तदनुसूची नया बैंक", "भारतीय स्टेट बैंक" या "सहायक बैंक" है जैसा कि क्रमशः खंड (डीए), खंड (एनसी) और खंड (एनडी) में परिभाषित है और इसमें उस अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित "सहकारी बैंक" शामिल है।
5. "अनुसूचित बैंक" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक।
6. "प्राथमिक डीलर" का अर्थ है एक वित्तीय संस्थान जो 29 मार्च 1995 के समय-समय पर यथासंशोधित "सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक डीलरों के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राथमिक डीलर के रूप में एक वैध प्राधिकरण पत्र रखता है।
7. "कैपिटल फंड" का अर्थ है टियर I और टियर II पूंजी का योग जैसा कि इकाई की नवीनतम लेखा परीक्षित तुलनपत्र में बताया गया है।

परिशिष्ट
परिपत्रों की सूची

क्रमांक	परिपत्र सं.	विषय
1.	सीपीसी.बीसी.103/279ए-90 दिनांक 12-4-1990	कॉल मुद्रा बाजार तक पहुंच
2.	संदर्भ.डीबीओडी.सं.डीआईआर.बीसी.97/C.347-90 दिनांक अप्रैल 18, 1990	
3.	सीपीसी.बीसी.111/279ए-91 दिनांक.12-4-1991	कॉल / नोटिस मनी और बिल रिडिस्काउंटिंग बाजार।
4.	सीपीसी.बीसी.144/07.01.279/94-95 दिनांक 17-4-1995	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार तक पहुंच का विस्तार
5.	संदर्भ.डीबीओडी.सं.एफएससी.बीसी.68/24.91.00195 दिनांक 27 जून, 1995	
6.	सीपीसी. बीसी.162/07.01.279/96-97 दिनांक 15 अप्रैल, 1997	मुद्रा बाजार – डीएफएचआई के माध्यम से लेनदेन का मार्ग
7.	सीपीसी.बीसी.165/07.01.279/97-98 दिनांक 21 अप्रैल, 1997	मुद्रा बाजार - प्राथमिक डीलरों के माध्यम से लेनदेन का मार्ग
8.	सीपीसी.बीसी.175/07.01.279/97-98 दिनांक 29 अप्रैल, 1998	मुद्रा बाजार
9.	सीपीसी.बीसी.185/07.01.279/98-99 दिनांक 20 अप्रैल, 1999	मुद्रा बाजार कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार विकसित करने के उपाय
10.	संदर्भ संख्या एमपीडी.2785/279ए(एमएम)/98-99 दिनांक 24 अप्रैल, 1999	कॉल/नोटिस मनी और बिल रिडिस्काउंटिंग मार्केट - ट्रांजैक्शन का रूटिंग
11.	सीपीसी.बीसी.190/07.01.279/99-2000 दिनांक 29 अक्टूबर, 1999	मुद्रा बाजार
12.	सीपीसी.बीसी.196/07.01.279/99-2000 दिनांक 27 अप्रैल, 2000	मुद्रा बाजार
13.	संदर्भ सं.एमपीडी.3513/279ए(एमएम)/19992000 दिनांक 28 अप्रैल, 2000	कॉल/नोटिस मनी एंड बिल रिडिस्काउंटिंग मार्केट - लेनदेनों का मार्ग - वर्ष 2000-01 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति पर 27 अप्रैल 2000 के वक्तव्य से उद्धरण
14.	एमपीडी.बीसी.201/07.01.279/2000-01 दिनांक 10 अक्टूबर, 2000	गैर-बैंकों को मांग मुद्रा बाजार में ऋण देने की अनुमति
15.	एमपीडी.बीसी.206/07.01.279/2000-01 दिनांक 19 अप्रैल, 2000	पूर्ण रुपेण इंटर-बैंक कॉल मुद्रा बाजार की ओर बढ़ना
16.	डीएस.एमटीडी.सीआईआर.40/13.01.00/2000-01 दिनांक 19 अप्रैल, 2001	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में परिचालन
17.	एमपीडी.2991/03.09.01/2000-01 दिनांक अप्रैल 21, 2001	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में भागीदारी
18.	एमपीडी.3173/03.09.01/2000-01 दिनांक 8 मई, 2001	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में भागीदारी

क्रमांक	परिपत्र सं.	विषय
19.	संदर्भ.डीबीओडी.एफएससी.बीसी.125/24.92.001/2000-01 दिनांक 25 मई, 2001	कॉल/नोटिस/टर्म मुद्रा बाजार और बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम में भाग लेने की अनुमति - प्राइमरी डीलर
20.	एमपीडी.बीसी.214/07.01.279/2001-02 दिनांक 29 अप्रैल, 2002	मुद्रा बाजार - पूर्ण रुपेण इंटर-बैंक कॉल मुद्रा बाजार की ओर बढ़ना
21.	डीएस.पीसीबी.सीआईआर.52/13.01.00/2000-01 दिनांक 24 जून 2002	कॉल मनी लेनदेन की रिपोर्टिंग
22.	एमपीडी 217/07.01.279/2001-02 दिनांक 27 जून 2002	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार पर निर्भरता : विवेकपूर्ण मानदंड
23.	एमपीडी.220/07.01.279/2002-03 दिनांक जुलाई 31, 2002	प्राथमिक डीलरों के लिए कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार तक पहुंच: विवेकपूर्ण मानदंड।
24.	एमपीडी.222/07.01.279/2002-03 दिनांक 29 अक्टूबर 2002	मुद्रा बाजार
25.	एमपीडी.225/07.01.279/2002-03 दिनांक नवम्बर 14, 2002	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार पर निर्भरता : विवेकपूर्ण मानदंड
26.	एमपीडी.226/07.01.279/2002-03 दिनांक 11 दिसम्बर 2002	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार पर निर्भरता : विवेकपूर्ण मानदंड
27.	डीबीओडी.एफएससी.बीसी.85/24.91.001/2002-03 दिनांक 26 मार्च, 2003	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार और बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम में भाग लेने की अनुमति - निजी क्षेत्र म्यूचुअल फंड
28.	डीबीओडी.एफएससी.बीसी.86/24.91.001/2002-03 दिनांक 26 मार्च, 2003	कॉल/नोटिस/टर्म मुद्रा बाजार और बिल रीडिस्काउंटिंग में भाग लेने की अनुमति स्कीम - प्राइमरी डीलर
29.	एमपीडी.बीसी.230/07.01.279/2002-03 दिनांक 29 अप्रैल, 2002	मुद्रा बाजार - पूर्ण रुपेण इंटर-बैंक कॉल मुद्रा बाजार की ओर बढ़ना
30.	एमपीडी.बीसी.234/07.01.279/2002-03 दिनांक 29 अप्रैल, 2003	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में गैर-बैंक संस्थाओं की भागीदारी
31.	एमपीडी.बीसी.235/07.01.279/2002-03 दिनांक 29 अप्रैल, 2003	एनडीएस प्लेटफॉर्म पर कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार लेनदेन की रिपोर्टिंग।
32.	एमपीडी.बीसी.241/07.01.279/2003-04 दिनांक 3 नवंबर, 2003	मुद्रा बाजार - पूर्ण रुपेण इंटर-बैंक कॉल मुद्रा बाजार की ओर बढ़ना
33.	एमपीडी.बीसी.244/07.01.279/2003-04 दिनांक 5 नवंबर, 2003	प्राथमिक डीलरों की कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार तक पहुंच
34.	एमपीडी।.बीसी.242/07.01.279/2003-04 दिनांक 5 नवंबर, 2003	पूर्ण रुपेण इंटर-बैंक कॉल मुद्रा बाजार की ओर बढ़ना
35.	एमपीडी.बीसी.250/07.01.279/2003-04 दिनांक 25 मई, 2004	पूर्ण रुपेण इंटर-बैंक कॉल मुद्रा बाजार की ओर बढ़ना
36.	एमपीडी.बीसी.253/07.01.279/2004-05 दिनांक 3 जुलाई, 2005	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार परिचालनों पर मास्टर परिपत्र

37.	एमपीडी.बीसी.259/07.01.279/2004-05 दिनांक 26 अक्टूबर, 2004	पूर्ण रुपेण इंटर-बैंक कॉल मुद्रा बाजार की ओर बढ़ना
38.	एमपीडी.बीसी.260/07.01.279/2004-05 दिनांक 10 दिसंबर, 2004	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार लेनदेन की रिपोर्टिंग
39.	एमपीडी.बीसी.265/07.01.279/2004-05 दिनांक 29 अप्रैल, 2005।	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार – बेंचमार्क की समीक्षा।
40.	एमपीडी.बीसी.266/07.01.279/2004-05 दिनांक 29 अप्रैल, 2005।	कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार में भागीदारी।